**पत्र सं०— एम 4—21/2021 (खण्ड)/2867/वि०**
**बिहार सरकार**
**वित्त विभाग**

प्रेषक,

**आनन्द किशोर,**
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

**सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,**
**सभी विभागाध्यक्ष,**
**सभी प्रमंडलीय आयुक्त,**
**सभी जिला पदाधिकारी,**
**सभी कोषागार पदाधिकारी,**
**सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,**
**बिहार।**

**पटना—15, दिनांक—13-03-2025**

**विषयः— वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 में दिनांक 17.03.2025 से 31.03.2025 तक कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने से संबंधित दिशा—निर्देश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024—25 के अंतिम माह मार्च में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए प्रत्येक वर्ष वित्त विभाग द्वारा यथा आवश्यक निदेश जारी किये जाते हैं। इसी क्रम में वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ—साथ यह भी आवश्यक है कि विपत्रों को कोषागार में ससमय प्रस्तुतीकरण किया जाए, ताकि उसकी सम्यक जाँच के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

**2.** उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024—25 की शेष अवधि (17.03.2025 से 31.03.2025 तक) के लिए निम्नांकित निर्णय संसूचित किये जाते हैं :—

**i.** सभी विभाग/कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपलब्ध बजट उपबंध/आवंटन के अधीन सभी मदों के विपत्र नियमानुसार तैयार कर संबंधित कोषागार में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

**ii.** पी०एल० खाता में राशि अंतरण के मामले में Special Assistance to States for Capital Investment से संबंधित राशि को छोड़कर अन्य सभी मामलों में वित्त विभागीय सहमति के उपरांत ही पी०एल० खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे।

**iii.** अनुरक्षण एवं मरम्मत मद की राशि पी०एल० खाता में संधारित नहीं करेंगे। जिन मामलों में संदर्भित मद की राशि पी०एल० खाता में संधारित की गयी है, उनमें पी०एल० खाता से उक्त मद (अनुरक्षण एवं मरम्मत मद) की राशि के पूर्ण व्यय के उपरांत ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट में प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगा। इसके साथ ही पी०एल० खाता में उक्त मद में 31 मार्च 2025 को अवशेष राशि इसी वित्तीय वर्ष में घटायें वापसियाँ के रूप में समेकित निधि में जमा करा दिया जाय।

iv. दिनांक **25 मार्च, 2025 के बाद** कोई भी विपत्र कोषागार में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

v. कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने संबंधित उक्त निर्धारित समय–सीमा निम्नलिखित विषय यथाः– आपदा से संबंधित व्यय/न्यायालय/लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/बिहार मानवाधिकार आयोग/राज्य सूचना आयोग/निर्वाचन/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्यपाल सचिवालय/विधान मंडल/सूद एवं मूलधन के किस्त का भुगतान/जयघोष/मुख्यमंत्री सचिवालय/ केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम/केन्द्र प्रायोजित स्कीम में केन्द्रांश एवं राज्यांश की निकासी कर SNA Account में स्थानांतरण/केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग तथा 50 वर्षीय सूद रहित Special Assistance से संबंधित विपत्रों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् ये सभी विपत्र चालू वित्तीय वर्ष में **दिनांक 25.03.2025 के बाद** भी कोषागार में स्वीकार किये जायेंगे। इसके साथ ही निम्नांकित मदों के विपत्र भी चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 25.03.2025 के बाद कोषागार में स्वीकार किये जायेंगेः–

| **क्र०** | **विषय** | **विषय शीर्ष (Unit Code)** |
|---|---|---|
| 1. | वेतन | 01–01 से 01–07 तक |
| 2. | सहायक अनुदान वेतन | 31–04 |
| 3. | संविदा | 28–02 से 28–05 |
| 4. | कर–किराया महसूल कर | 14–01 |
| 5. | विद्युत प्रभार | 13–04 |
| 6. | विधि प्रभार | 13–05 |
| 7. | सभी प्रकार का सेवान्त लाभ, पेंशन, जी०पी०एफ० आदि | |

**3.** अतएव अनुरोध है कि अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त दिशा–निर्देशों से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन

13/3/25

**(आनन्द किशोर)**
**प्रधान सचिव।**

**ज्ञापांक– एम 4–21/2021 (खण्ड)/** 2867 **/वि०, पटना–15, दिनांक–** 13-03-2025

**प्रतिलिपिः–** प्रधान महालेखाकार(ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/25

**प्रधान सचिव।**

**ज्ञापांक– एम 4–21/2021 (खण्ड)/** 2867 **/वि०, पटना–15, दिनांक–** 13-03-2025

**प्रतिलिपिः–** मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/माननीय लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/25

**प्रधान सचिव।**

**ज्ञापांक– एम 4–21/2021 (खण्ड)/** 2867 **/वि०, पटना–15, दिनांक–** 13-03-2025

**प्रतिलिपिः–** माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/25

**प्रधान सचिव।**